राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2468/2016

रमेश चन्द्र भार्गव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक (प्रशिक्षण) प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
2. उपनिदेशक (प्रशिक्षण) प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय पोलोटेक्निक परिसर कोटा।
3. मुकुट बिहारी वर्मा तत्कालीन अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इकलेरा (झालावाड़) एवं वर्तमान पदस्थान राज० केशोरायपाटन आई.टी. आई, बून्दी।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 26.08.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संतोष कुमार विजय, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : कोई उपस्थित नहीं।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 24.08.2015 से दिया गया। इस सम्बन्ध में जारी आदेश दिनांक 10.11.2015 (अनुलग्नक–3) में यह विशेष विवरण अंकित किया गया है कि वर्ष 2007–08 के वार्षिक कार्य मुंल्याकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्ठि होने से एक वर्ष पश्चात दी गयी है। अपीलार्थी ने इस अपील में वर्ष 2007–08 की प्रतिकूल प्रविष्ठियों एवं आदेश दिनांक 10.11.2015 से प्रभावित होने के कारण यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी के वर्ष 2007–08 के वार्षिक मूल्यांकन में अपीलार्थी के कार्य परिणाम को संतोषप्रद बताया है व कार्य निष्पादन में तत्परता को संतोषप्रद बताया है। बुद्धिमता, अनुशासन कर्तव्यपरायणता व पहल करने की योग्यता को असंतोषप्रद बताया गया है। उक्त कार्य मूल्यांकन में प्रतिवेदन अधिकारी ने पहले तो कार्य मूल्यांकन संतोषप्रद मानकर उस कॉलम में अपने हस्ताक्षर किये तत्पश्चात् उसने असंतोषप्रद वाले कॉलम में अपने हस्ताक्षर किये हैं जो गलत है व शंका उत्पन्न करती है। समीक्षक अधिकारी ने अपीलार्थी के वार्षिक मूल्याकंन में बुद्धिमता की प्रतिकूल प्रविष्ठि को निरस्त कर दिया एवं शेष प्रतिकूल प्रविष्ठियों को यथावत रखते हुए समग्र मूल्यांकन असंतोषप्रद मान लिया। समीक्षक अधिकारी के पश्चात् स्वीकार करने वाले अधिकारी ने प्रतिकूल प्रविष्ठियां

सही मानी। उक्त वार्षिक मूल्यांकन का प्रपत्र ब के अनुसार अपीलार्थी को कुल 100 अंक में से 43½ अंक प्रदान किये हैं एवं 41 से 60 अंक तक वार्षिक मूल्यांकन संतोषप्रद माना जाता है। अपीलार्थी ने प्रतिकूल प्रविष्ठि के विरूद्ध अभ्यावेदन दिनांक 05.06.2008 को उप निदेशक कोटा को प्रस्तुत किया, जिसमें यह निवेदन किया कि उसका परिणाम शतप्रतिशत रहा है। ऐफिलेशन टीम ने अपीलार्थी के कार्य की सराहना की है और आजिविका मिशन द्वारा अपीलार्थी के कार्य की सराहना की गई। अपीलार्थी ने अधीक्षक को पत्र लिखकर प्रशिक्षण हेतु सामग्री उपलब्ध कराने हेतु लिखित में बार बार निवेदन किया परन्तु सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई। अपीलार्थी द्वारा पत्र लिखे जाने से अधीक्षक ने नाराज होकर प्रतिकूल प्रविष्ठियां अंकित की है। अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से लिखा कि अधीक्षक महोदय ने जो सामान बाजार से खरीदा है, उसकी कीमत ज्यादा है तथा सामान भी घटिया है। इस तरह से अधीक्षक महोदय अपनी इच्छित फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाना चाहती है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के उक्त अभ्यावेदन को अस्वीकार कर वर्ष 2007–08 की प्रतिकूल प्रविष्ठियों को यथावत रखा। अपीलार्थी ने यह भी अंकित किया गया है कि अपीलार्थी के वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2007–08 में प्रतिकूल प्रविष्ठियां अंकित होने के कारण उसे एक वर्ष पश्चात् चयनित वेतनमान प्रदान किया, जो गलत है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की हैः–

> ''अतः अपीलार्थी से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्रावली मंगाकर उसका अवलोकन कर अप्रार्थीगण को निर्देश देवे कि :–
>
> (i) यह कि अपीलार्थी के वार्षिक मूल्याकन वर्ष 2007–08 में की गई प्रतिकूल प्रविष्ठियों को खारिज फरमाया जावें।
>
> (ii) यह कि प्रत्यर्थीगण को यह भी निर्देश देवें कि उसे द्वितीय चयनित वेतनमान के रूप में पे बैण्ड 9300–34800 में ग्रेड पे 4800 का वास्तविक लाभ 24.08.2014 से प्रदान किया जावे।
>
> (iii) यह कि वास्तविक लाभ के रूप में मिलने वाली राशि पर ब्याज भी दिलाने के आदेश प्रदान करें।
>
> (iv) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय अधिकरण उचित समझे अपीलार्थी के हक में पारित करें। ''

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि यह अपील 9 वर्ष पश्चात देरी से दायर की गयी है। यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को समीक्षक अधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल प्रविष्टियों को स्वीकारकर्ता अधिकारी को प्रेषित की गयी, जिसे स्वीकार कर ली गयी। समीक्षक अधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से

प्रतिकूल प्रविष्टियों की पुष्टि हेतु अपीलार्थी को रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 06.08.2008 प्रेषित किया गया तथा यह पुष्टि पत्र अपीलार्थी को सुपुर्द किये जाने के पश्चात् अपीलार्थी के पास संबंधित विभाग के प्रमुख शासन सचिव (तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर) के समक्ष निर्धारित अवधि में अपील किये जाने का उपचार उपलब्ध था, परन्तु अपीलार्थी द्वारा सक्षम अपील अधिकारी को कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः अपीलार्थी द्वारा अपील किये जाने के उपचार का उपभोग किये बिना सीधे ही माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी यह अपील पोषणीय नही है, अतः इसी आधार पर अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी को जब चयनित वेतनमान का लाभ वर्ष 2007–2008 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टियों के पारिणामिक प्रभाव के कारण 18 वर्ष की सेवा पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ देय तिथि 24.08.2014 के स्थान पर 24.08.2015 से स्वीकृत किये जाने के पश्चात् प्रतिकूल प्रविष्टियों को निरस्त करने हेतु वर्ष 2017 में यह अपील प्रस्तुत करने से एस्टोपल के सिद्धान्त पर अपील प्रस्तुत करने से बाधित है, अतः इसी आधार पर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया। जहां तक अपीलार्थी द्वारा प्रतिकूल प्रविष्ठियों को हटाये जाने का प्रश्न है, तो हमारे मत में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण Tayyab Ali Vs State of Rajasthan 1988(2)WLN255 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया हैः–

> *"We are therefore, of the opinion that an adverse entry in the Annual Performance Appraisal Report or any order rejecting representation against the same is not included within the ambit of Sub-clause (v) of Clause (f) of Section 2 of the Act; and, therefore, an appeal to the Tribunal merely against such an adverse entry or an order rejecting the representation against the same does not lie under the Act. We are also of the opinion that even though such an adverse entry or an order rejecting the representation against the same by itself is not appealable to the Tribunal as already stated, yet the correctness thereof can be assailed by the Government Servant while challenging any consequent order based on or influenced by it relating, to any of the matters specified in the several sub-clauses of Clause (f) of Section 2; and in that event the limitation for appeal to the Tribunal will be reckoned from the date of the consequent order and not the date of the adverse entry or the order rejecting the representation against it. We answer the above quoted question accordingly."*

4. उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए हम यह पाते है कि प्रतिकूल प्रविष्ठियों के संबंध में इस अधिकरण को विचारण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी के सम्बन्ध में जो प्रतिकूल प्रविष्ठि वर्ष 2007–08 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में की गयी है वह निम्न प्रकार से है :–

> ''कर्मचारी अपने कार्य में बिल्कुल रूचि नहीं लेते है। प्रशिक्षण कार्य में लापरवाही बरतते हैं। समयपालन नहीं करना, सरकारी कार्य के प्रति निष्ठा का अभाव पाया गया है।
>
> कर्मचारी को सलाह दी जाती है कि अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बने व अपने गलतियों के को अन्य कर्मचारी पर आरोपित नहीं करें।
>
> संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट है कि कर्मचारी के स्थायीकरण भौगने पर, अधिकारियों पर गलत आरोप लगाकर संग बनाने की चेष्ठा की है व अधिकारी द्वारा दी गई सलाहों को नजरअंदाज किया गया।''

5. उपरोक्त टिप्पणी अंकित करते हुए प्रतिवेदक ने अपीलार्थी का समग्र मूल्यांकन कार्य असंतोषप्रद माना है। समीक्षक अधिकारी ने भी समग्र मूल्यांकन कार्य असंतोषप्रद माना है। अपीलार्थी द्वारा उप निदेशक के समक्ष प्रतिकूल प्रविष्ठियों को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया था, जो खारिज किया जा चुका है। ऐसे में अपीलार्थी का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन स्तरों पर असंतोषप्रद माना गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में जो प्रतिकूल प्रविष्ठियां है, उसकी टिप्पणी को देखते हुए हम उन्हें नजरअंदाज करने योग्य नहीं पाते हैं और अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ एक वर्ष आगे किये जाने में कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं।

6. अतः इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)